



सराहनीय कार्य



इटावा पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 03.12.2024

चोरी के इरादे से मोबाइल छीनने वाले 03 अभियुक्तों को इटावा पुलिस द्वारा चोरी की योजना बनाते हुये

किया गया गिरफ्तार,

कब्जे से चोरी किये गये मोबाइल एवं चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण किये गये बरामद

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में एसओजी/सर्विलान्स टीम एवं थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 02.12.2024 को वादिनी मनु यादव पुत्र महेश चन्द्र यादव निवासी आवास विकास कालोनी थाना सिविल लाइन जनपद इटावा द्वारा थाना सिविल लाइन पर लिखित तहरीरी सूचना दी गयी कि दिनांक 01.12.2024 को समय करीब शाम 07.00 बजे जब वह लोहन्ना पेट्रोल पम्प से अपने घर जा रही थी इसी दौरान रास्ते में इंजीनियरिंग कालेज गेट के सामने से 03 अज्ञात मोटर साइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा उसका मोबाइल छीनकर भाग गये। सूचना पर तत्काल थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0 227/2024 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत किया

गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं चोरी की घटना को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 02/03.12.2024 की रात्रि को थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत सराय एसर पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी इसी दौरान 01 मोटर साइकिल पर 03 व्यक्ति आते दिखायी दिये जिन्हें पुलिस टीम द्वारा रूकने का इशारा किया गया तो मोटर साइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुये 03 मोटर साइकिल सवार व्यक्तियों को सराय एसर और बच्चा जेल के बीच में बनी पुलिया से समय करीब 02.55 बजे गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पूछताछ:-

पकड़े गये व्यक्तियों से पुलिस टीम द्वारा नाम-पता पूछते हुये उनकी तलाशी ली गयी तो उनके कब्जे से 04 मोबाइल भिन्न-भिन्न कम्पनी के, 01 पिलास, 01 कटर, 01 लोहे का सरिया बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि हम लोगों ने 01 मोबाइल भोलापुर रसूलाबाद से 01 व्यक्ति से चोरी किया था तथा 02 मोबाइल इकदिल अण्डरब्रिज पुल के नीचे से चोरी किये थे एवं 01 अन्य मोबाइल दिनांक 01.12.2024 की शाम को कृषि इंजीनियरिंग कालेज के सामने से 01 महिला से छीना था। हम लोग घरों में रात्रि के समय ताला तोड़कर चोरी करते हैं।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0 228/2024 धारा 313/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा मु0अ0सं0 227/2024 धारा 304(2) में धारा 317(2) की बढ़ोत्तरी की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. रोहन राजपूत पुत्र सूरज सिंह राजपूत निवासी नेवरपुर थाना इकदिल जनपद इटावा उम्र 22 वर्ष ।
2. अंकित राजपूत पुत्र आशाराम निवासी नेवरपुर थाना इकदिल जनपद इटावा उम्र 24 वर्ष ।
3. जितेन्द्र राजपूत पुत्र ब्रजमोहन निवासी नेवरपुर थाना इकदिल जनपद इटावा उम्र 25 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 227/2024 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना सिविल लाइन जनपद इटावा ।
2. मु0अ0सं0 228/2024 धारा 313/317(2) बीएनएस थाना सिविल लाइन जनपद इटावा

बरामदगी:-

1. 04 मोबाइल (भिन्न-भिन्न कम्पनी के चोरी किये गये)
2. 01 कटर
3. 01 पिलास
4. 01 लोहे की सरिया
5. 01 मोटर साइकिल

पुलिस टीम:- प्रथम टीम:- निरी0 श्री जितेन्द्र प्रसाद शर्मा प्रभारी एसओजी मय टीम ।

द्वितीय टीम:- श्री यशवंत सिंह प्रभारी थाना सिविल लाइन, उ0नि0 श्री सिपाही लाल, का0 कमरूद्दीन, का0 मोहित कुमार, का0 एपी सौरभ कुमार ।

नोट:- उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा 10,000/- रुपये से पुरुस्कृत किया गया ।